संख्या- [illegible]/69-1-2015-14(59)/2015

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 08 अक्टूबर, 2015

विषय- भारत सरकार आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा एक्यूट इन्सैफ्लाइटिस सिंड्रोम (ए0ई0एस) तथा जापानी इन्सैफ्लाइटिस (जे0ई0) की रोकथाम के लिए परियोजना तैयार करने तथा कार्य कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था नामित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा संचालित एक्यूट इन्सैफ्लाइटिस सिंड्रोम (ए0ई0एस) तथा जापानी इन्सैफ्लाइटिस (जे0ई0) की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश में परियोजना तैयार करने तथा कार्य कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-837/2015/2207/69-1-15-14(59)/2015, दिनांक 16 सितम्बर, 2015 द्वारा कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0, जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था। तत्क्रम में निदेशक, कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0, जल निगम के पत्र संख्या-1491/जल-10/सामान्य/155, दिनांक 23.09.2015 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रदेश के समस्त जनपदों के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल से सम्बन्धित कार्य सामान्य रूप से उ0प्र0 जल निगम के द्वारा सम्पादित कराये जा रहे हैं। अत: अनुरोध किया गया है कि विषयगत परियोजना को तैयार करने तथा कार्य कराये जाने हेतु कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज के स्थान पर उ0प्र0 जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया जाये।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त एक्यूट इन्सैफ्लाइटिस सिंड्रोम (ए0ई0एस) तथा जापानी इन्सैफ्लाइटिस (जे0ई0) की रोकथाम के लिए स्वच्छ जलापूर्ति की योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश में परियोजना तैयार करने तथा कार्य कराये जाने हेतु कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज के स्थान पर उ0प्र0, जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है। उक्त शासनादेश दिनांक 16 सितम्बर, 2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा व पढ़ा जाय।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

क्रमश.......2

संख्या- 872/265/2482/69-1-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/समाज कल्याण/नगर विकास तथा चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. मण्डलायुक्त, गोरखपुर, आजमगढ़, देवीपाटन, बस्ती।
7. जिलाधिकारी, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महराजगंज, संतकबीरनगर व सिद्धार्थनगर।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0, जल निगम, लखनऊ।
9. निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
11. सम्बन्धित नगरीय निकाय, उ0प्र0।
12. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।